माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2015–16 निगरानी 1570-PBR-16

1 अनुराग पिता नटवरलाल नीमा

2 अमित पिता नटवरलाल नीमा
निवासीगण– 8/3, नार्थ राज मोहल्ला,
इंदौर (म.प्र.) –– निगरानीकर्तागण

–– विरूद्ध ––

1 नानूबाई पिता खूबचंद माली
निवासी– फूलमालीपुरा आगर (म.प्र.)

2 दयाराम पिता सिद्धनाथ कुंभकार
निवासी– नाना बाजार, आगर (म.प्र.)

3 जमनाबाई पति जगदीशचन्द्र माली,
निवासी– आगर (म.प्र.)

4 लीलाबाई पति नागराज माली,
निवासी– मालीपुरा आगर (म.प्र.)

5 मध्यप्रदेश शासन –– प्रत्यर्थीगण

श्री ________ द्वारा आज दि. 20.5.16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

20/5/16

<u>अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) आगर–बड़ौद जिला आगर–मालवा (म.प्र.) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05/05/2016 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता :–</u>

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1510–पीबीआर/16 [अनुराग / नानूबाई आदि] जिला–आगर मालवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–6–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, आगर बड़ौद जिला आगर मालवा के प्र0क0 53/निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 5–5–16 के विरूद्ध पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई है परंतु वर्तमान में कोई अपर आयुक्त पदस्थ न होने से उनके प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पा रही है । अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई में विलंब होने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । उनका कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थगित नहीं किया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय पेश की जा चुकी है, इस कारण इस निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के स्थगन का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में अपर अनुविभागीय अधिकारी, आगर बड़ौद जिला आगर मालवा के प्र0क0 53/निगरानी/2015–16 के आदेश दिनांक 5–5–16 का कियान्वयन आगामी तीन माह अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित किये जाने (जो भी पहले हो) तक स्थगित किया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये । अध्यक्ष	